बिहार सरकार
कृषि विभाग

किसान भाइयों एवं बहनों, कृपया ध्यान दें
गरमा मौसम 2021 में विभिन्न फसलों के बीज अनुदानित दर पर प्राप्ति से संबंधित सूचना

सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) 2020–21 योजनान्तर्गत गरमा फसलों (यथा– **मूंग, सूरजमुखी, संकर मक्का एवं उरद**) के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

इच्छुक किसान, विभाग के DBT Portal पर बीज हेतु आवेदन कर सकते हैं। किसानों का फसलवार बीज आवेदन पंचायत के संबंधित कृषि समन्वयक को स्वतः चली जायेगी। सुयोग्य आवेदक किसानों के चयनोपरान्त उनके निबंधित मोबाईल नं0 पर विभाग द्वारा OTP भेजा जायेगा। कृषि समन्वयक द्वारा बीज प्राप्ति स्थान के संबंध में सूचना आपको दी जाएगी। निर्दिष्ट बीज विक्रेता के पास जाकर अपना OTP बताकर अनुदानित मूल्य घटाकर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त करेंगे। किसानों तक सुलभतापूर्वक बीज पहुँचाने के लिए सशुल्क होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। ऑनलाईन आवेदन में होम डिलीवरी का विकल्प चयनित करने वाले किसानों के घर तक सशुल्क बीज पहुँचाया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के बीज प्राप्त करने हेतु DBT Portal **(https://dbtagriculture.bihar.gov.in)** अथवा बिहार राज्य बीज निगम के वेबसाइट **(brbn.bihar.gov.in)** के बीज अनुदान लिंक पर दिनांक **08 जनवरी से 22 जनवरी, 2021** तक आवेदन कर सकते हैं। किसान सुविधानुसार वसुधा केन्द्र / कॉमन सर्विस सेन्टर / साईबर कैफे / स्वयं के Android Mobile के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अनुदान से संबंधित पूर्ण विवरणी निगम के वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

किसान अपने निकटत्तम कृषि समन्वयक / प्रखंड कृषि पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ ले सकते हैं।

अंतिम तिथि 22 जनवरी, 2021

कृषि निदेशक
बिहार, पटना

PR-10742 (Agriculture)D. 2020-21